दिनांक 07 मई, 2013 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1.	प्रोफेसर सुभाष धूलिया, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	श्री राजीव बेरी, 19/1, प्लीसेन्ट वेली, राजपुर रोड़, देहरादून।	सदस्य
3.	श्री सुधीर चड्ढा, चड्ढा सीड फार्म, पोस्ट-चकलवा, नैनीताल।	सदस्य
4.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
5.	प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल, निदेशक, भाषा विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	डॉ0 मदन मोहन जोशी, सहायक प्राध्यापक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	डॉ मुकुल पंत, निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामित)	सदस्य
9.	श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियन्त्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	विशेष आमंत्री
10.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, कुलसचिव/ निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव (सचिव कार्य परिषद) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष) तथा सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। वर्तमान कुलपति जी की यह प्रथम कार्य परिषद की बैठक थी अत: इस पर सभी वाह्य सदस्यों द्वारा अपना परिचय सदन को दिया एवं कुलपति जी से यह अपेक्षा की गयी कि उनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर जायेगा। कुलपति जी द्वारा अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय की '**भविष्य दृष्टि**' पर प्रकाश डाला गया। तदुपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव संख्या 8.01- कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 07.08.2012 एवं सप्तम बैठक दिनांक 29.01.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

उपरोक्त वर्णित कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 07.08.2013 का सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ तथा सप्तम बैठक दिनांक 29.01.2013 के मद संख्या-02 पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि पूर्व से स्थापित क्षेत्रीय केन्द्रों को समाप्त किये जाने में तकनीकी परेशानियॉ हो रही हैं तथा विश्वविद्यालय में भवन की भी कमी है जिस कारण देहरादून तथा हल्द्वानी में स्थापित क्षेत्रीय केन्द्र पूर्ववत् ही स्थापित रहेंगें। इस निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ।

प्रस्ताव संख्या 8.02- कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 07.08.2012 एवं सप्तम बैठक दिनांक 29.01.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

उपरोक्त पर परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 8.03- वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 10.04.2013 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

उपरोक्त पर परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 8.04- विद्या परिषद की पंचम बैठक दिनांक 02.05.2013 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई तथा इस बैठक के प्रस्ताव संख्या- 5.03 पर विद्या शाखाओं के पुनगर्ठन करने की सहमति हुयी। परिषद द्वारा प्रस्ताव की सराहना की गयी तथा सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 8.05- भवन निर्माण समिति की पंचम बैठक दिनांक 02.03.2013 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

उपरोक्त पर की गयी कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कुलसचिव द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि इस मद में शासन से रू0 04.00 करोड़ विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

प्रस्ताव संख्या 8.06- परीक्षा समिति की पंचम बैठक दिनांक 22.10.2012 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

उपरोक्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा केन्द्रों के अनुषांगिक व्यय की दरों में बढ़ोत्तरी पर प्रकाश डाला जिसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 8.07- दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान से अकादमिक परामर्शदाताओं, प्रशासनिक परामर्शदाताओं एवं वरिष्ठ परामर्शदाता (आई0सी0टी0) की नियुक्ति का अनुमोदन।

उपरोक्त पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा सदन को यह बताया गया कि विश्वविद्यालय में इग्नू की पद्धति को अपनाते हुये शैक्षणिक, आई0टी0 तथा प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान से अकादमिक परामर्शदाताओं, प्रशासनिक परामर्शदाताओं एवं वरिष्ठ परामर्शदाता (आई0सी0टी0) का नियोजन आगामी छ: माह के लिये विश्वविद्यालय हित में किया गया है। इनकी सेवायें विश्वविद्यालय को अपने शैक्षिक, प्रशासनिक एवं दूरसंचार के क्षेत्र में विकास करने में सहायक होगी। विश्वविद्यालय इन क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभायेगा। अकादमिक परामर्शदाताओं का पदनाम अकादमिक एसोसिएट किये जाने पर सभी लोगों की सहमति बनी तथा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 8.08- परिवीक्षाधीन सहायक प्राध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्राविधानों के तहत उपरोक्त का परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा सुझाव दिया कि भविष्य में सहायक प्राध्यापकों के स्थायीकरण करने से पूर्व संबंधित शिक्षक द्वारा स्वमूल्याकंन, जिसमें वर्ष भर किये गये कार्यों का विवरण होगा तथा गोपनीय आख्या विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति जी के पास भेजी जायेगी। कुलपति की सहमति के उपरान्त ही इस प्रकार के विषयों को कार्य परिषद में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

प्रस्ताव संख्या 8.09- शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 60 से 65 वर्ष किये जाने के संबंध में।

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 8.10- विश्वविद्यालय योजना बोर्ड की सदस्यता के लिए कार्य परिषद द्वारा विषय-विशेषज्ञों का नाम निर्दिष्ट किया जाना।

उपरोक्त पर सचिव कार्य परिषद ने प्रकाश डाला कि महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा गठित प्रथम योजना बोर्ड का कार्यकाल जून 30, 2013 को पूरा होने जा रहा है। अत: योजना बोर्ड का गठन किया जाना है जिस पर विभिन्न संस्थाओं (यथा: उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण विभाग) से सबंधी विषय-विशेषज्ञों की सूची का अनुमोदन सर्वसम्मति से हुआ तथा इस सूची के अलावा अन्य विशेषज्ञों को भी सूची में शामिल करने के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया तथा कुलपति जी ने सम्मानित वाहय सदस्य श्री सुधीर चड्ढ़ा तथा श्री राजीव बेरी से भी विशेषज्ञों के नाम 10 दिनों के भीतर देने का अनुरोध किया। इस सूची में से योजना बोर्ड के गठन के लिये कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8.11- डॉ हेमन्त काण्डपाल, सहायक प्राध्यापक, आयुर्वेद को पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने पर निलम्बन के संबंध में।

परिषद द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8.12- दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य कराये जाने पर विचार।

सर्वसम्मति द्वारा स्वीकृति दी गयी।

प्रस्ताव संख्या 8.13- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त पर सर्वसम्मति द्वारा सुझाव दिया कि यह प्रोत्साहन का प्रकरण है इसकी स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय। कार्य परिषद की शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत वेतन वृद्धियॉ देने पर सर्वसम्मति से सहमति है। इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 8.14- शिक्षकों के अवकाश के संबंध में परिनियमावली में वर्णित प्राविधानों में संशोधन किये जाने पर विचार।

उक्त प्रकरण पर विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि अभी शिक्षकों को परम्परागत विश्वविद्यालयों की भॉति 10 दिनों के उपार्जित अवकाश देने का प्राविधान है। परम्परागत विश्वविद्यालयों में ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश देने का प्राविधान है, जो प्राविधान उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में नहीं है इसलिये यह निर्णय लिया गया कि शिक्षकों को राज्य सरकार की भॉति वर्ष भर में 30 दिनों का उपार्जित अवकाश का प्राविधान किया जाय। शिक्षकों के शेष अवकाशों पर कुलपति जी अलग से विचार करेंगें। इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ।

प्रस्ताव संख्या 8.15- विश्वविद्यालय के मानव संसाधन एवं मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विद्या परिषद की बैठक दिनांक 02 मई, 2013 के निर्णय पर विचार।

उक्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 8.16- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में कुछ प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं जिनका विज्ञापन किया जा रहा है। इस हेतु चयन समिति का गठन किया जाना है जिसके लिये कुलपति जी द्वारा प्रस्तावित विषय-विशेषज्ञों की सूची का अनुमोदन किया गया तथा अतिरिक्त नाम जोड़े जाने हेतु कुलपति को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।

उपरोक्त के उपरान्त सभी का धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

(गिरिजा प्रसाद पाण्डे)
कुलसचिव/सदस्य सचिव कार्यपरिषद

8/5/13
Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor